इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2017—वैशाख 29, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)
अंतिम नियम

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्र.सी-1971.— जबलपुर, दिनांक 3 मई 2017

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 477 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक), में निम्नलिखित और संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

(एक) विद्यमान नियम 771 से 790 के स्थान पर, के पश्चात् निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"771. इन नियमों में,–

(क) "अर्जी" से अभिप्रेत है कोई दस्तावेज जो आपराधिक न्यायालयों में पेश किए जाने के प्रयोजन के लिए लिखे गए हों और जिसमें सम्मिलित है परिवाद अपील या पुनरीक्षण की अर्जी ;

(ख) "अर्जी लेखक के रूप में व्यवसाय करना" से अभिप्रेत है ऊपर परिभाषित किए गए अनुसार भाड़े पर अर्जी लिखना। अर्जी लेखक, न्यायालय में व्यवसाय करता तभी कहा जाएगा जब वह उस न्यायालय में पेश किए जाने के लिए अर्जियां लिखता है।

772. कोई भी व्यक्ति तब तक अर्जी लेखक के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा जब तक कि उसे इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति (लायसेंस) नहीं दी गई हो :

परन्तु–

(क) किन्हीं नियमों के अधीन व्यवहार मामले में व्यावहारिक तथा आपराधिक मामले में आपराधिक अनुज्ञप्तिधारी कोई भी व्यक्ति व्यवहार/आपराधिक नियमों के अध्यधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया समझा जाएगा ;

(ख) ऐसी किसी अर्जी के संबंध में, जो कि उस न्यायालय में प्रस्तुत की जानी है जिसमें विधि व्यवसायी, व्यवसाय करने हेतु हकदार हैं, किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है यदि वह अर्जी उसके द्वारा अथवा उसके लिपिक द्वारा लिखी गई है और किसी विधिक व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित है।

773. कोई भी अर्जी केवल इस आधार पर निरस्त नहीं की जाएगी कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जो अनुज्ञप्त अर्जी लेखक नहीं है। प्रत्येक अर्जी में उस व्यक्ति का नाम और पद स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाएगा जिसके द्वारा वह लिखी गई है और इस आवश्यकता का अनुपालन नहीं किए जाने पर, न्यायालय अर्जी स्वीकार करने से इंकार कर सकता है।

अर्जी लेखकों को अनुज्ञा दिया जाना

774. जिला न्यायाधीश द्वारा जिले के लिए निश्चित मापमान के अनुसार इननियमों के अधीन अनुज्ञप्तियों की संख्या मंजूर की जाएगी। जब आवश्यकता हो, मापमान में परिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु नियत मापमान को ध्यान दिए बिना अनुज्ञप्तियां बिना किसी भेदभाव के दी जाएंगी।

775. कोई भी व्यक्ति जिसने 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्जी लेखक के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए उस जिले के जिला न्यायाधीश को, जिसमें वह अर्जी लेखक के रूप में व्यवसाय करना चाहता है, आवेदन कर सकता है।

776 (1) आवेदन पत्र स्वयं आवेदक द्वारा लिखा या टंकित और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसमें निम्न बातें होंगी–

(क) आवेदक का नाम, पिता का नाम, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार जन्मतिथि निवास के पते के प्रमाण के साथ पहचान कमांक, जहां आवश्यक हो तथा शैक्षणिक योग्यताएं जन्मतिथि दर्शाने वाली अंकसूची एवं वर्तमान व्यवसाय (यदि कोई हो) ;

(ख) भाषा या भाषाएं जिससे आवेदक परिचित है।

(ग) दो सम्माननीय व्यक्तियों के नाम जिनका कि आवेदक के चरित्र के संबंध में संदर्भ दिया जा सके।

(2) यदि आवेदक को किसी दाण्डिक अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया है या शासकीय नौकरी से निकाला गया है तो यह तथ्य, आवेदन पत्र में लिखा जाएगा।

(3) यदि आवेदक को शासन या किसी अन्य प्राधिकरण की सेवा में है या विधि व्यवसायी है तो आवेदन पत्र में, उसे यह कथन करना होगा कि अर्जी लेखक के रूप में अनुज्ञप्ति दिये जाने पर वह उक्त सेवा से त्यागपत्र देने के लिए तैयार है।

777. जिला न्यायाधीश का जिसे कि आवेदन पत्र दिया गया है, इस संबंध में समाधान हो जाने पर–

(क) कि आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक है

(ख) कि वह अच्छे चरित्र का है

(ग) कि वह अन्यथा अयोग्य नहीं है तथा

(घ) कि उसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की है,

अपने विवेकाधिकार से आवेदक को इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूप (क) में पंजीयन क्रमांक सहित अनुज्ञप्ति दे सकेगा। किसी भी व्यक्ति को अर्जी लेखक के रूप में अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी जब वह शासन या किसी अन्य प्राधिकरण की सेवा में है या विधि व्यवसायी है।

778. (1) प्रत्येक अर्जी लेखक एक वर्ष की परिवीक्षा कालावधि के अधीन होगा। एक वर्ष की परिवीक्षा कालावधि के पश्चात्, यदि जिला न्यायाधीश द्वारा उसे स्थायी किया जाता है तो जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर तथा उन्हीं शर्तो पर नवीकरण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी नियुक्ति की अवधि प्रथम बार में तीन वर्षो के लिए होगी, परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान से 30 दिन पूर्व नवीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) कोई भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, स्थायी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह जिला न्यायाधीश का यह समाधान न कर दे:–

(क) कि वह सुवाच्य अक्षरों में, स्पष्ट और संक्षिप्त आवेदन–पत्र, वाद पत्र, जवाबदावा या अपील का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में जिसमें कि वह व्यवसाय करता है, लिखने में सक्षम है।

(ख) कि वह दण्ड प्रकिया संहिता, न्यायालय शुल्क अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम और परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से परिचित है, जहां तक कि एक अर्जी–लेखक के कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने हेतु इन अधिनियमों का ज्ञान आवश्यक है।

(ग) कि वह अर्जी लेखकों से संबंधित सभी नियमों, जैसे कि पंजी का संधारण, अर्जियों तथा अन्य दस्तावेजों पर अपेक्षित विवरण का उल्लेख किए जाने का नियमित रूप से पालन कर रहा है।

(3) ऐसी दशा में जब आवेदक अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु विहित कालावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तब वह अवसान तिथि से एक माह के भीतर इस हेतु कारणों का उल्लेख करते हुए विलम्ब के लिए माफी हेतु एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा जिला न्यायाधीश विलम्ब के कारणों से संतुष्ट होने पर उसे माफ कर सकेगा।

(4) इन नियमों के प्रभावी होने पर, वर्तमान अर्जी–लेखकों को उनकी अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु, तीन माह की कालावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

779. प्रत्येक जिला न्यायाधीश के कार्यालय में, विहित प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखकों की एक पंजी रखी जाएगी प्रत्येक अर्जी लेखक के लिए पंजी का एक या अधिक पृष्ठ अतिरिक्त रूप से रखे जाएंगे।

अर्जी लेखकों का आचरण

780. प्रत्येक अर्जी लेखक विहित प्ररूप में एक पंजी संधारित करेगा और उसमें उसके द्वारा लिखी गई प्रत्येक अर्जी की प्रविष्टि करेगा, और वह जब भी ऐसा करना अपेक्षित किया जाए, किसी भी न्यायिक अधिकारी या जिला न्यायाधीश द्वारा सम्यक् रूप से निर्देशित पदधारी को जांच हेतु पंजी प्रस्तुत करेगा।

781. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक, स्वयं के खर्चे पर निम्न नमूने की एक कार्यालयीन मुहर रखेगा :–

अर्जी लेखक

नाम.................................
कमांक.............................
जिला............................

मुद्रा

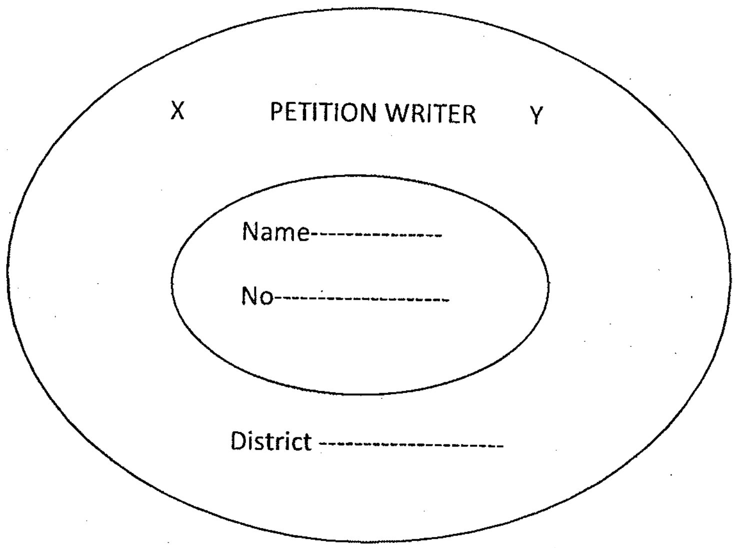

782. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक, अर्जी लिखने में, ऐसी सीधी एवं सरल भाषा में, जो कि अर्जीदार समझ सके, संक्षिप्त तथा उचित रूप से अर्जीदार के कथन और उद्देश्यों को अभिव्यक्त करने तक अपने आपको सीमित रखेगा और किसी विधि रिपोर्ट या अन्य विधि पुस्तक से कोई तर्क या उद्धरण उसमें नहीं लिखेगा, या अर्जीदार द्वारा उसकी जानकारी में नहीं लाए गए किसी निर्णय का उल्लेख नहीं करेगा।

783. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेख़क उसके द्वारा लिखी गई प्रत्येक अर्जी पर अपनी मुहर, जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति कमांक लिखा हो, लगाएगा और ऐसी अ़र्जी पर वह कमांक जो है तथा उसके द्वारा लिए गए शुल्क की उसकी पंजी में प्रविष्टि करेगा।

784. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अर्जी–लेखक जब किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित किया जाए तब स्वयं द्वारा लिखी गई किसी अर्जी को स्वयं के व्यय पर फिर से लिखेगा।

785. (1) कोई अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक केवल ऐसा शुल्क लेगा जो जिला न्यायाधीश द्वारा विहित इसमें संलग्न मापमान से अधिक न हो। वह उसके द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक रकम को अर्जी में तथा अपनी पंजी में उपयुक्त कॉलम में भी लिखेगा।

(2) कोई अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक किसी ऐसे मुकदमे के परिणाम में अपना हित व्यक्त करते हुए अपनी सेवाओं के बदले कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा जिसके कि संबंध में वह नियुक्त किया गया हो और वह किसी मुकदमे की जिसमें कि वह अन्यथा व्यक्तिगत रूप से हितबद्व न हो, चलाने के लिए निधियों में कोई अभिदाय नहीं देगा।

(3) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक उसके नियोजक को उसके द्वारा प्राप्त रकम हेतु एक रसीद प्रदान करेगा जिसमें कि वह सही–सही यह विनिर्दिष्ट करेगा कि वह रकम उसने किस हेतु प्राप्त की थी, उदाहरणार्थ, लिखाई शुल्क या खर्च और यदि खर्च हेतु तो किस खर्च हेतु, उदाहरणार्थ परिवाद पर देय न्यायालय शुल्क, प्रोसेस शुल्क इत्यादि ब्यौरे, पृथक् रूप से या तो उस रसीद में रखे जाएंगे या उससे संलग्न पृथक कागज की पर्ची पर लिखे जाएंगे।

786. कोई अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक किसी ऐसे प्रकरण से जिसमें कि वह स्वयं पक्षकार हो, अन्यथा किसी भी प्रकरण के किसी दण्ड न्यायालय में चलाए जाने हेतु मुख्तारनामा, चाहे वह साधारण या विशेष हो, स्वीकार नहीं करेगा।

787. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अजी लेखक :

(क) जो अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है या हटा दिया जाता है.

(ख) जो शासन की या किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा में नियुक्त हो जाता है या विधि व्यवसायी हो जाता है, या

(ग) जिसकी अनुज्ञप्ति इन नियमों के अधीन निलंबित या निरस्त कर दी जाती है, वह तत्काल जिला न्यायाधीश को अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करेगा।

नियमों के भंग होने पर प्रकिया

788. कोई न्यायिक अधिकारी, अर्जी–लेखक को नियुक्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन करने पर ऐसे अर्जी लेखक को सुनने के बाद (यदि वह चाहता है कि उसे सुना जाए), यह पाता है कि न्यायालय में पेश की गई अर्जी लिखने के लिए अधिक शुल्क लिया गया था तो लिखित में आदेश द्वारा शुल्क की राशि में उस सीमा तक कमी कर देगा और जैसा कि परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त और उचित प्रतीत हो और अर्जी लेखक से उस राशि से अधिक प्राप्त की गई राशि को वापिस कराएगा। केवल उस अधिकारी को छोड़कर जिसने आदेश पारित, इस नियम के अन्तर्गत पारित किया गया कोई आदेश उस अधिकारी के अलावा पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा जिसने कि उसे किया था।

789. कोई भी न्यायिक अधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक को उसके द्वारा लिखी गई किसी अर्जी को पुनः लिखने के लिए आदेश दे सकेगा यदि अर्जी नियम 782 का उल्लंघन करती है या अवाच्य, अस्पष्ट या अति–विस्तृत है या उसमें कोई असंगत विषय या गलत उद्वरण समाविष्ट है या किसी अन्य कारण से, उस अधिकारी की राय में अर्जी अनियमित (इनफार्मल) या अन्यथा आपत्तिजनक है। इस नियम के

अंतर्गत पारित किया गया कोई आदेश उस अधिकारी के अलावा पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा जिसने कि उसे किया था।

789क. कोई व्यक्ति जो इस नियम के नियम 772 का उल्लंघन करता है, पांच सौ रूपये से अनधिक की शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

790. कोई अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक जो उप नियम 780, 781, 783, 785, 786 और 787 में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है, एक सौ रूपयें से अनधिक की शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

791. नियम 789क और 790 में विनिर्दिष्ट उपबंधों का भंग जिला न्यायाधीश द्वारा संज्ञेय होगा और ऐसे भंग पर कोई भी अर्थदंड तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि आरोपित व्यक्ति को अपने बचाव के लिए अवसर न दे दिया जाए।

792. (1) कोई भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जो उसकी परिवीक्षा के वर्ष के भीतर नियम 778 के उपबंधों के अनुसार जिला न्यायाधीश का समाधान करने में असफल रहता है, तो उसेअनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

(2) अर्जी लेखक पर लगाया गया अर्थदंड, भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा।

793. कोई अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक जो–

(क) नियम 782 के प्रतिकूल आदतन ऐसी अर्जीयां लिखता है जिनमें ऐसे असंगत विषय या प्रकाशन समाविष्ट हों जो अनावश्यक या अन्यथा आपत्तिजनक हो; या

(ख) अर्जी लेखक के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में अनादरपूर्ण, अपमानजनक या अपशब्द वाली भाषा का उपयोग करता है ; या

(ग) अर्जी लेखक के कार्यो का दक्षता पूर्ण पालन करने के अयोग्य पाया जाता है ;

(घ) न्यायालय के समय के दौरान आदतन अनुपस्थित रहता है या अपने मुख्यालय से बहुत कालावधि तक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है,या

(ड.) किसी किसी कपटपूर्ण या अनुचित आचरण के कारण ऐसा व्यवसाय करने के लिए अयोग्य पाया जाता है; या

(च) ऐसे दाण्डिक अपराध में सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, तो जिला न्यायाधीश के आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति का निलंबन या निरस्तीकरण किया जा सकेगा, जो कि भविष्य में उसके सूचीबद्व होने के लिए अयोग्यता होगी:

परन्तु अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा निरस्तीकरण का आदेश किये जाने के पूर्व उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जावेगा।

794. उपरोक्त किन्हीं नियमों के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्व कोई अपील नहीं होगी।

794क. नियम 789, 790, 792, या 793 के अधीन पारित आदेशों के संबंध में उच्च न्यायालय अधीक्षण और नियंत्रण की सामान्य शक्तियों का प्रयोग उसी रीति में करेगा जिस प्रकार वह सत्र न्यायाधीश के अन्य प्रशासनिक आदेशों के संबंध में करता है।

अधिकतम प्रभार्य दर—

794ख. अर्जियों या अन्य दस्तावेजों के लिए चार सौ रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम प्रभार्य दर रूपए 10/— प्रति पृष्ठ होगी।''।

(दो) इन नियमों संलग्न प्ररूपों के स्थान पर, निम्न प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"प्ररूप–क

अनुज्ञप्ति का प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण कमांक..............

प्रमाणित किया जाता है कि..........................आत्मज.......................... निवासी.......................जिला को एतद्द्वारा जिला.........................में अर्जी लेखक के रूप में व्यवसाय करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है और मध्यप्रदेश में अर्जी लेखकों से संबंधित नियमों द्वारा विहित रीति में तथा उक्त नियमों के उपबंधों के अध्यधीन अर्जी लेखक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायालय की मुहर से आज दिनांक.................. माह............सन्.............स्थान................को प्रदत्त।

मुद्रा जिला न्यायाधीश

प्ररूप–ख

प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक द्वारा संधारित की जाने वाली पंजी

अर्जी का अनुकमांक	तारीख जिसको अर्जी लिखी गई थी	उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और निवास जिसके कहने पर अर्जी लिखी गई थी	अर्जी का विवरण	अर्जी की विषय–वस्तु का संक्षिप्त सार	अर्जी में चस्पा की गई न्याय शुल्क का मूल्य	अर्जी को लिखने के लिए प्रभारित शुल्क	अभ्युक्तियां	अर्जी लेखक के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्ररूप–ग

अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखकों की पंजी

पंजी का पृष्ठ.........

पंजी कमांक.........

(1) अर्जी–लेखक का नाम...
(2) पिता का नाम...
(3) निवास...
(4) व्यवसाय का स्थान..
(5) अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख
(6) नियुक्ति की पुष्टि की तारीख
(7) पंजीयन कमांक..

*अभियुक्तियां...

टिप्पणीः प्रत्येक अर्जी–लेखक के लिए एक या अधिक पृष्ठ स्वतंत्र रखे जाएं।

---

*अभ्यर्थियों के कॉलम में उपनियम (20) अथवा (21) के अधीन आरोपित कोई अर्थदण्ड और उपनियम (18), (19), (22) या (23) के अधीन पारित कोई आदेश से संबंधित टिप्पणी की प्रविष्टि की जाएगी।"।

In exercise of the powers conferred by article 227 of the Constitution of India, read with section 477 of Criminal Procedure Cod, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, proposes to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal), namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,

(i). for existing rules 771 to 790, the following rules shall be substituted, namely:-

"**771.** In there rules ,-

(a) "Petition" means a document written for being presented to a Criminal Court and includes a complaint, petition of appeal or revision.

(b) "To practice as petition writer" means to write a petition as defined above for hire. A petition writer is said to practice in a court when he writes petitions for the purpose of being presented to the court.

772 No person shall practice as a petition-writer unless he has been duly licensed under these Rules:

provided-

(a) that any person licensed under any rule, either Civil or Criminal shall be deemed to have been licensed under these rules;

(b) that no such licence is necessary in respect of a petition meant to be presented to a court in which a legal practitioner is entitled to practice if the petition is written by him or by his clerk and is signed by a legal practitioner.

773. No petition shall be rejected merely on the ground that it has been written by a person who is not a licensed petition-writer. Every petition shall show clearly the name and designation of the person by whom it has been scribed and the court may refuse to accept a petition which does not comply with this requirement.

LICENSING OF PETITION WRITERS

774. The number of licences to be granted under these Rules shall be in accordance with the scale fixed by the District Judge for the District. The scale may be altered when necessary, but licences should be granted indiscriminately without reference to the fixed scale.

775. Any person above the age of 20 years may apply to the District Judge of the district in which he desires to practice for being licensed as a petition-writer.

776. (1) The application shall be written by the applicant in his own hand or typed under his signature with following details:-

(a) The applicant's name, father's name, date of birth according to the English Calendar, residence with address proof along with ID proof where necessary, and educational qualifications with marks sheet showing date of birth and present occupation (if any);

(b) The language or languages with which the applicant is acquainted;

(c) The names of two respectable persons to whom reference may be made regarding the applicant's character.

(2) If the applicant has been convicted of any criminal offence or removed from any service under the Government, the fact shall be stated in the application.

(3) If the applicant is a legal practitioner or in the service under the Government or any other authority, his application shall state that he is ready to resign from such service on being licensed as a petition-writer.

777. The District Judge to whom the application is made may, in his discretion, on being satisfied-

(a) that the applicant is over 20 years of age,
(b) that he is of good character,
(c) that he is not otherwise ineligible and
(d) that he has passed the Higher Secondary Examination (10+2) from any recognised Board,

grant the applicant a licence along with registration number in the prescribed Form- A appended to these rules. A appended to these rules no person shall be licensed as a petition-writer whilst he is a legal practitioner or in the service of the government or any authority.

778. (1) Every petition writer shall be under probation for a period of one year. After probation period of one year, if confirmation is made by the District Judge, the duration of such licence shall be for three years in first instance, subject to renewal by the District Judge, time to time, on same conditions:

Provided that the application for renewal shall be made 30 days prior to the expiry of the period of licence.

(2) No probationer shall be confirmed unless he satisfies the District Judge-

(a) that he is able to draw up in a legible, hand clear and concise application, plaint, written statement or memorandum of appeal in the language of the court in which he practises;

(b) that he is acquainted with the provisions of the Criminal Procedure Code, the Court Fees Act, the Stamp Act and the Limitation Act, so far as knowledge of these Acts is necessary for the efficient performance of the duties of a petition-writer;

(c) that he is regularly complying with all the rules regarding petition-writers i.e. maintenance of register, mentioning requisite details on petitions and other documents.

(3) In case the applicant fails to apply for renewal of the licence within the prescribed period, he may file an application within one month from the date of expiry, seeking condonation of delay giving reasons for the same and District Judge, on being satisfied about the reasons of delay, may condone the same.

(4) With the enforcement of these rules, the existing Petition Writers shall have to apply for renewal of their licences within a period of 3 months.

779. A register of licensed Petition Writers should be maintained in the prescribed form in the office of every District Judge. A page or pages of the register shall be set apart for each petition writer.

CONDUCT OF PETITION-WRITERS

780. Every petition writers shall maintain a register in the prescribed form and shall enter therein every petition written by him, and shall produce the register for inspection to any judicial officer or official duly instructed by the District Judge it is required to do so.

781. Every licensed petition writer shall, at his own expense, provide himself with an official seal of the following pattern.

Petition Writer
Name..................................
No...
District...............................

SEAL

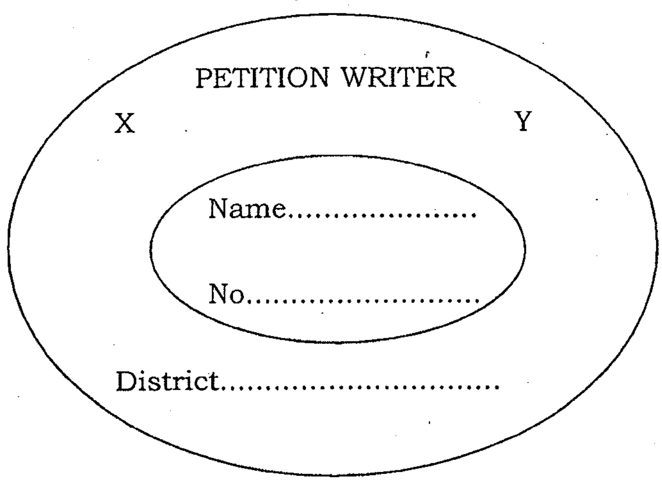

782. Every licensed petition writer, in writing petitions, shall confine himself to expressing in plain and simple language such as the petitioner may understand, and in a concise and proper form, the statements and objects of the petitioner, and shall not introduce any argument or quotation from a law report or other law book, or refer to any decision not brought to his notice by the petitioner.

783. Every licensed petition writer shall affix his seal (with his name and license number filled in) on every petition written by him and shall enter on such petition the number which it bears in his register and the fee which has been charged for writing it.

784. Every licensed petition writer shall re-write, at his own cost, any petition, written by himself, when required to do so by the order of a competent authority.

785. (1) A licensed petition writer shall charge only such fees as may be prescribed by the District Judge not exceeding the scale hereto annexed. He shall make a note in the petition and also in the appropriate columns of his register, the amount actually received by him;

(2) A licensed petition-writer shall not take any payment for his service by expressing his interest in the result of any litigation in connection with which he is employed and shall not contribute towards the funds for carrying on any litigation in which he is not otherwise personally interested;

(3) Every licensed petition-writer shall give to his employer a receipt for the amount received by him, specifying exactly what the money was received for e.g., writing fees or costs, and if for costs, for what cost e.g., Courts fees on plaints, process-fee, etc. The details shall be set out separately either in the receipt itself or on a separate piece of paper attached to it.

786. A licensed petition-writer shall not accept any mukhtarnama, whether general or special, for the conduct of any case in a criminal court other than a case in which he is himself a party.

787. Every licensed petition-writer-

(a) who resigns or is removed;

(b) who joins the service of Government or any other authority or becomes a legal practitioner; or

(c) who se licence is suspended or cancelled under these rules, shall forthwith surrender his license to the District Judge.

PROCEDURE IN DEALING WITH BREACH OF RULES

788. Any Judicial officer who, on the representation of any person employing a petition-writer, and after hearing such petition-writer (if he desires to be so heard) finds that the fee charged for writing a petition presented in the court was excessive, may by order in writing, reduce the same to such sum as appears to be, under the circumstances, reasonable and proper, and may require the petition-writer to refund the amount received in excess of such sum. An order passed under this rule shall not be revised except by the officer who makes it.

789. Any Judicial officer may order a licensed petition-writer to re-write any petition, written by him, which contravenes rule 782 or is illegible, obscure or prolix or contains any irrelevant matter or misquotation, or for any other person, in the opinion of such officer, informal or otherwise objectionable. An order passed under this rule shall not be revised except by the officer who makes it.

789A. Any person who violates rule 772 of this rule shall be liable to pay penalty not exceeding to rupees five hundred.

790. Any licensed petition-writer who violates any of the sub-rules 780, 781, 783, 785, 786 and 787 shall be liable to a penalty not exceeding to rupees one hundred.

791. Any breach of rules specified in rules 789A and 790 shall be cognizable by the District Judge and no penalty shall be inflicted in respect of such violations unless the person, charged, has been given an opportunity of defending himself.

792. (1) Any probationer who fails to satisfy the District Judge on the points mentioned in rule 778, within the year of his probation, shall not be granted licence.

(2) The fine imposed on Petition Writer shall be recovered as an arrear of land revenue.

793. Any licensed petition-writer who-

(a) habitually writes petitions contrary to rule 782, containing irrelevant matter or averments which are unnecessary or otherwise objectionable; or

(b) in the course of his business as petition writers, uses disrespectful, insulting or abusive language; or

(c) is found to be incapable of efficiently discharging the functions of a petition writer; or

(d) habitually remains absent during court hours or is absent from his headquarters for a considerable period without sufficient cause; or

(e) by reason of any fraudulent or improper conduct, is found to be unfit to practise as such; or

(f) is convicted of a criminal offence involving moral turpitude, may suffer suspension or cancellation of his licence by the order of the District Judge which shall be disqualification for his being listed in future:

Provided that such petition writer shall be given a reasonable opportunity of hearing before passing the order of suspension or cancellation of licence.

794. No appeal shall lie from any order passed under any of the above sub-rules.

794A. The High Court shall exercise general powers of superintendence and control with regard to orders passed under rules 789, 790,792 or 793 in the same manner as with regard to other administrative orders of the District Judge.

Maximum Chargeable Rate.

794B. The maximum chargeable rate shall be Rs. 10/- per page subject to maximum limit of Rs. 400/- on a petition or other document.".

(ii). for Forms appended to these rules, the following Forms shall be substituted, namely:-

" Form-A

Form of Licence

Registration No................

Certified that...son of....................................... resident of ....district is hereby permitted to practise as such in the..........................district, this day, has been licensed as petition writer in the manner prescribed by the rules relating to petition writers in Madhya Pradesh and subject to the provisions of the said rules.

Given under my hand and seal of this Court ....of 2015 ....at............................

Seal ....

District Judge

Form-B

Register to be maintained by every licensed petition writer

Serial Number of Petition	Date on which petition was written	Name, parentage and residence of the person at whose instance the petition was written	Description of Petition	Brief abstract of contents of petition	Value of Court fee paid to the petition	Fees charged for writing the petition	Remarks	Signature of the petition writer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Form-C

Register of licensed petition writers

Page of Register...................
Registration No..........................

(1) Name of petition writer
(2) Father's Name
(3) Residence
(4) Place of business
(5) Date of grant of licence
(6) Date of confirmation of appointment
(7) Registration No...........

*Remarks

Note: One or more pages to be set apart for each petition writer
*Note: In the column or remarks, a note shall be entered of penalty imposed under rule 788, 789, 789A or 790,791 and 792.".

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 23 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन प्रस्तावित करता हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 594 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"594–क (1) इन नियमों में,–

(क) "अर्जी" से अभिप्रेत है कोई दस्तावेज जो व्यवहार न्यायालयों में पेश किए जाने के प्रयोजन के लिए लिखे गए हों और जिसमें सम्मिलित है वाद पत्र, जवाब दावा और अपील की अर्जी ;

(ख) "अर्जी लेखक के रूप में व्यवसाय करना" से अभिप्रेत है ऊपर परिभाषित किए गए अनुसार भाड़े पर अर्जी लिखना। अर्जी लेखक, न्यायालय में व्यवसाय करता तभी कहा जाएगा जब वह उस न्यायालय में पेश किए जाने के लिए अर्जियां लिखता है।

(2) कोई भी व्यक्ति तब तक अर्जी लेखक के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा जब तक कि उसे इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति (लायसेंस) नहीं दी गई हो :

परन्तु—

(क) किसी नियम के अधीन या तो सिविल या आपराधिक मामले में आपराधिक अनुज्ञप्त कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुज्ञ समझा जाएगा;

(ख) ऐसी किसी अर्जी के संबंध में, जो कि उस न्यायालय में प्रस्तुत की जानी है जिसमें विधि व्यवसायी, व्यवसाय करने हेतु हकदार हैं, किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है यदि वह अर्जी उसके द्वारा अथवा उसके लिपिक द्वारा लिखी गई है और किसी विधिक व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित है।

(3) कोई भी अर्जी केवल इस आधार पर निरस्त नहीं की जाएगी कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जो अनुज्ञप्त अर्जी लेखक नहीं है। प्रत्येक अर्जी में उस व्यक्ति का नाम और पद स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाएगा जिसके द्वारा वह लिखी गई है और इस आवश्यकता का अनुपालन नहीं किए जाने पर, न्यायालय अर्जी स्वीकार करने से इंकार कर सकता है।

अर्जी लेखकों को अनुज्ञा दिया जाना

(4) जिला न्यायाधीश द्वारा जिले के लिए निश्चित मापमान के अनुसार इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तियों की संख्या मंजूर की जाएगी। जब आवश्यकता हो, मापमान में परिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु नियत मापमान को ध्यान दिए बिना अनुज्ञप्तियां बिना किसी भेदभाव के दी जाएंगी।

(5) कोई भी व्यक्ति जिसने 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्जी लेखक के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए उस जिले के जिला न्यायाधीश को, जिसमें वह अर्जी लेखक के रूप में व्यवसाय करना चाहता है, आवेदन कर सकता है।

(6) (क) आवेदन पत्र स्वयं आवेदक द्वारा स्वंय के हाथें से लिखा या टंकित और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसमें निम्न ब्यौरे होंगे :—

(एक) आवेदक का नाम, पिता का नाम, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार जन्मतिथि निवास के पते के प्रमाण के साथ पहचान क्रमांक, जहां आवश्यक हो तथा शैक्षणिक योग्यताएं जन्मतिथि दर्शाने वाली अंकसूची एवं वर्तमान व्यवसाय (यदि कोई हो) ;

(दो) भाषा या भाषाएं जिससे आवेदक परिचित है।

(तीन) दो सम्माननीय व्यक्तियों के नाम जिनका कि आवेदक के चरित्र के संबंध में संदर्भ दिया जा सके।

(ख) यदि आवेदक को किसी दाण्डिक अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी शासकीय सेवा से हटाया गया है तो यह तथ्य, आवेदन पत्र में लिखा जाएगा।

(ग) यदि आवेदक विधि व्यवसायी है या शासन या किसी अन्य प्राधिकरण की सेवा में है तो आवेदन पत्र में, उसके आवेदन में यह कथन होगा कि अर्जी लेखक के रूप में अनुज्ञप्त किये जाने पर वह ऐसी सेवा से त्यागपत्र देने के लिए तैयार है।

(7) जिला न्यायाधीश का जिसे कि आवेदन पत्र दिया गया है, इस संबंध में समाधान हो जाने पर—

(क) कि आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक है,

(ख) कि वह अच्छे चरित्र का है,

(ग) कि वह अन्यथा अयोग्य नहीं है, तथा

(घ) कि उसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की है,

अपने विवेकाधिकार से आवेदक को इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूप क में पंजीयन कमांक सहित अनुज्ञप्ति दे सकेगा। किसी भी व्यक्ति को अर्जी लेखक के रूप में अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी जब वह एक विधि व्यवसायी या शासन किसी प्राधिकरण की सेवा में न हो।

(8) (क) प्रत्येक अर्जी लेखक एक वर्ष की परिवीक्षा कालावधि के अधीन होगा। एक वर्ष की परिवीक्षा कालावधि के पश्चात्, यदि जिला न्यायाधीश द्वारा उसे स्थायी किया जाता है तो जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर तथा उन्हीं शर्तो पर नवीकरण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञप्ति की अवधि प्रथम बार में तीन वर्ष के लिए होगी:

परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान से 30 दिन पूर्व नवीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) कोई भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, स्थायी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह जिला न्यायाधीश का यह समाधान न कर दे:–

(एक) कि वह सुवाच्य अक्षरों में, स्पष्ट और संक्षिप्त आवेदन–पत्र, वाद पत्र, जवाबदावा या अपील का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में जिसमें कि वह व्यवसाय करता है, लिखने में सक्षम है।

(दो) कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, न्यायालय शुल्क अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम और परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से परिचित है, जहां तक कि एक अर्जी–लेखक के कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने हेतु इन अधिनियमों का ज्ञान आवश्यक है।

(तीन) कि वह अर्जी लेखकों से संबंधित सभी नियमों, जैसे कि पंजी का संधारण, अर्जियों तथा अन्य दस्तावेजों पर अपेक्षित विवरण का उल्लेख किए जाने का नियमित रूप से पालन कर रहा है।

(ग) ऐसी दशा में जब आवेदक अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु विहित कालावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तब वह अवसान तिथि से एक माह के भीतर विलम्ब को माफी हेतु एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा जिला न्यायाधीश विलम्ब के कारणों से संतुष्ट होने पर उसे माफ कर सकेगा।

(घ) इन नियमों के प्रभावी होने पर, वर्तमान अर्जी–लेखकों को उनकी अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु, तीन माह की कालावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(9) प्रत्येक जिला न्यायाधीश के कार्यालय में, विहित प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखकों की एक पंजी रखी जाएगी प्रत्येक अर्जी लेखक के लिए पंजी का एक या अधिक पृष्ठ अतिरिक्त रूप से रखे जाएंगे।

अर्जी लेखकों का आचरण

(10) प्रत्येक अर्जी लेखक विहित प्ररूप में एक पंजी संधारित करेगा और उसमें उसके द्वारा लिखी गई प्रत्येक अर्जी की प्रविष्टि करेगा और वह जब भी ऐसा करना अपेक्षित किया जाए, किसी न्यायिक अधिकारी या जिला न्यायाधीश द्वारा सम्यक् रूप से निर्देशित पदधारी को जांच हेतु पंजी प्रस्तुत करेगा।

(11) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखक, स्वयं के खर्चे पर निम्न नमूने की एक कार्यालयीन मुहर रखेगा :–

अर्जी लेखक
नाम................................

क्रमांक............................ मुद्रा

जिला...........................

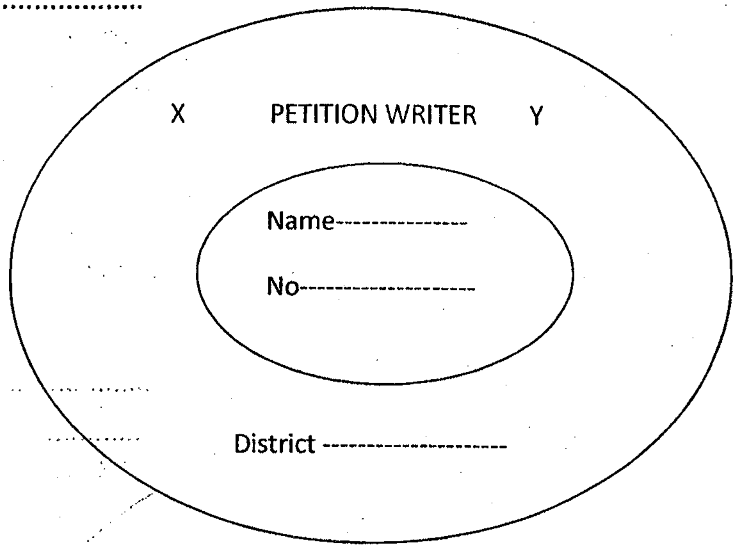

(12) प्रत्येक अनुज्ञप्त अर्जी लेखक, अर्जी लिखने में, अपने आय को ऐसी सीधी एवं सरल भाषा तक जो कि अर्जीदार समझ सके, संक्षिप्त तथा उचित रूप से अर्जीदार के कथन और उद्देश्यों को अभिव्यक्त करने तक सीमित रखेगा और किसी विधि रिपोर्ट या अन्य विधि पुस्तक से कोई तर्क या उद्धरण उसमें नहीं लिखेगा, या अर्जीदार द्वारा उसकी जानकारी में नहीं लाए गए किसी निर्णय का उल्लेख नहीं करेगा।

(13) प्रत्येक अनुज्ञप्त अर्जी लेखक उसके द्वारा लिखी गई प्रत्येक अर्जी पर अपनी मुहर, जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति क्रमांक लिखा हो, लगाएगा और ऐसी अर्जी पर वह क्रमांक जो है तथा उसके द्वारा लिए गए शुल्क की उसकी पंजी में प्रविष्टि करेगा।

(14) प्रत्येक अनुज्ञप्त अर्जी–लेखक जब किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित किया जाए तब स्वयं द्वारा लिखी गई किसी अर्जी को स्वयं के व्यय पर फिर से लिखेगा।

(15) (क) कोई अनुज्ञप्त अर्जी लेखक केवल ऐसा शुल्क प्रभारित करेगा जो जिला न्यायाधीश द्वारा विहित इसमें संलग्न सीमा से अधिक न हो। वह उसके द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त की गई वास्तविक रकम को अर्जी में तथा अपनी पंजी के उपयुक्त कॉलम में भी लिखेगा।

(ख) कोई अनुज्ञप्त अर्जी लेखक किसी ऐसे मुकदमे के परिणाम में अपना हित व्यक्त करते हुए अपनी सेवाओं के बदले कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा जिसके कि संबंध में वह नियुक्त किया गया हो और वह किसी मुकदमे की जिसमें कि वह अन्यथा व्यक्तिगत रूप से हितबद्व न हो, चलाने के लिए निधियों में कोई अभिदाय नहीं देगा;

(ग) प्रत्येक अनुज्ञप्त अर्जी लेखक उसके नियोजक को उसके द्वारा प्राप्त रकम हेतु एक रसीद प्रदान करेगा जिसमें कि वह सही–सही यह विनिर्दिष्ट करेगा कि वह रकम उसने किस हेतु प्राप्त की थी, उदाहरणार्थ, लिखाई शुल्क या खर्च और यदि खर्च हेतु तो किस खर्च हेतु, उदाहरणार्थ परिवाद पर देय न्यायालय शुल्क, प्रोसेस शुल्क इत्यादि ब्यौरे, पृथक् रूप से या तो उस रसीद में रखे जाएंगे या उससे संलग्न पृथक कागज की पर्ची पर लिखे जाएंगे।

(16) कोई अनुज्ञप्त अर्जी लेखक किसी ऐसे प्रकरण, जिसमें कि वह स्वयं पक्षकार हो, से भिन्न किसी भी प्रकरण के किसी दण्ड न्यायालय में चलाए जाने हेतु मुख्तारनामा, चाहे वह साधारण या विशेष, स्वीकार नहीं करेगा।

(17) प्रत्येक अनुज्ञप्त अर्जी लेखक :

(क) जो अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है या हटा दिया जाता है;

(ख) जो शासन की या किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा में संबंद्व हो जाता है या विधि व्यवसायी हो जाता है; या

(ग) जिसकी अनुज्ञप्ति इन नियमों के अधीन निलंबित या निरस्त कर दी जाती है,

वह तत्काल जिला न्यायाधीश को अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करेगा।

नियमों के भंग होने पर प्रकिया

(18) कोई न्यायिक अधिकारी, अर्जी–लेखक को नियुक्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन करने पर ऐसे अर्जी लेखक को सुनने के बाद (यदि वह चाहता है कि उसे सुना जाए), यह पाता है कि न्यायालय में पेश की गई अर्जी लिखने के लिए अधिक शुल्क लिया गया था तो लिखित में आदेश द्वारा शुल्क की राशि में उस सीमा तक कमी कर देगा और जैसा कि परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त और उचित प्रतीत हो और अर्जी लेखक से उस राशि से अधिक प्राप्त की गई राशि को वापिस कराएगा। इस नियम के अन्तर्गत पारित किया गया कोई आदेश उस अधिकारी के अलावा, जो कि उसे करता है, पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा।

(19) कोई भी न्यायिक अधिकारी, अनुज्ञप्त अर्जी लेखक को उसके द्वारा लिखी गई किसी अर्जी को पुनः लिखने के लिए आदेश दे सकेगा यदि अर्जी नियम 12 का उल्लंघन करती है या अवाच्य, अस्पष्ट या अति–विस्तृत है या उसमें कोई असंगत विषय या गलत उद्वरण समाविष्ट है या किसी अन्य कारण से, ऐसे अधिकारी की राय में अर्जी अनौपचारिक (इनफार्मल) या अन्यथा आपत्तिजनक है। इस नियम के अंतर्गत पारित किया गया कोई आदेश उस अधिकारी के अलावा, जो कि उसे करता है, पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा।

(20) कोई व्यक्ति जो इस नियम के उप नियम (2) का उल्लंघन करता है, पॉच सौ रूपये से अनधिक की शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

(21) कोई अनुज्ञप्त अर्जी लेखक जो उप नियम (10) (11),(13),(15),(16) और (17) में से किसी का भी उल्लंघन करता है, एक सौ रूपये से अनधिक की शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

(22) उप नियम (20) और (21) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का कोई भंग जिला न्यायाधीश द्वारा संज्ञेय होगा और ऐसे भंग पर कोई भी अर्थदंड तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि आरोपित व्यक्ति को अपने बचाव के लिए अवसर न दे दिया जाए।

(23) कोई भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जो उसकी परिवीक्षा के वर्ष के भीतर उप नियम (8) में उल्लिखित बिन्दुओं पर जिला न्यायाधीश का समाधान करने में असफल रहता है, उसे अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

(24) अर्जी लेखक पर लगाया गया अर्थदंड, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर किया जाएगा।

(25) कोई अनुज्ञ अर्जी लेखक जो-

(क) उप नियम 12 के प्रतिकूल आदतन ऐसी अर्जीयां लिखता है जिनमें ऐसे असंगत विषय या प्रकाशन समाविष्ट हों जो अनावश्यक या अन्यथा आपत्तिजनक हो; या

(ख) अर्जी लेखक के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में अनादरपूर्ण, अपमानजनक या अपशब्द वाली भाषा का उपयोग करता है ; या

(ग) अर्जी लेखक के कार्यों का दक्षता पूर्ण पालन करने के अयोग्य पाया जाता है ;

(घ) न्यायालय के समय के दौरान आदतन अनुपस्थित रहता है या अपने मुख्यालय से बहुत कालावधि तक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है,या

(ड.) किसी किसी कपटपूर्ण या अनुचित आचरण के कारण ऐसा व्यवसाय करने के लिए अयोग्य पाया जाता है; या

(च) ऐसे दाण्डिक अपराध में सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, तो जिला न्यायाधीश के आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति का निलंबन या निरस्तीकरण किया जा सकेगा, जो कि भविष्य में उसके सूचीबद्व होने के लिए अयोग्यता होगी :

परन्तु अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा निरस्तीकरण का आदेश किये जाने के पूर्व ऐसे अर्जी लेखक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जावेगा।

(26) उपरोक्त में किसी उपनियमों के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्व कोई अपील नहीं होगी।

(27) उप नियम (2), (20), (21), (23), (24) या (25) के अधीन पारित आदेशों के संबंध में उच्च न्यायालय अधीक्षण और नियंत्रण की सामान्य शक्तियों का प्रयोग उसी रीति में करेगा जिस प्रकार वह सत्र न्यायाधीश के अन्य प्रशासनिक आदेशों के संबंध में करता है।

अधिकतम प्रभार्य दर–

(28) किसी अर्जी या अन्य दस्तावेज के लिए अधिकतम प्रभार्य दर चार सौ रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए रूपए 10/– प्रति पृष्ठ होगी।

प्ररूप—क

अनुज्ञप्ति का प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण कमांक..............

प्रमाणित किया जाता है कि...........................आत्मज.......................... निवासी.........................जिला को एतदद्वारा जिला..........................में अर्जी लेखक के रूप में व्यवसाय करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है और मध्यप्रदेश में अर्जी लेखकों से संबंधित नियमों द्वारा विहित रीति में तथा उक्त नियमों के उपबंधों के अध्यधीन अर्जी लेखक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायालय की मुहर से आज दिनांक.................. माह............सन्.............स्थान...............को प्रदत्त।

मुद्रा

जिला न्यायाधीश

प्ररूप—ख

प्रत्येक अनुज्ञ अर्जी लेखक द्वारा संधारित की जाने वाली पंजी

अर्जी का अनुकमांक	तारीख जिसको अर्जी लिखी गई थी	उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और निवास जिसके कहने पर अर्जी लिखी गई थी	अर्जी का विवरण	अर्जी की विषय—वस्तुओं का संक्षिप्त सार	अर्जी में भुगतान की गई न्यायालय शुल्क का मूल्य	अर्जी को लिखने के लिए प्रभारित शुल्क	अभ्युक्तियां	अर्जी लेखक के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्ररूप—ग

अनुज्ञप्तिधारी अर्जी लेखकों की पंजी

पंजी का पृष्ठ.........

पंजी क्रमांक.........

(1) अर्जी—लेखक का नाम...

(2) पिता का नाम...

(3) निवास...

(4) व्यवसाय का स्थान...

(5) अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख

(6) नियुक्ति की पुष्टि की तारीख

(7) पंजीयन क्रमांक...

अभियुक्तियां...

टिप्पणीः प्रत्येक अर्जी—लेखक के लिए एक या अधिक पृष्ठ स्वतंत्र रखे जाएं।

टिप्पणीः अभ्युक्तियों के कॉलम में उप नियम (20) अथवा (21) के अधीन आरोपित कोई क्षणित और उपनियम (18), (19), (22) या (23) के अधीन पारित किन्ही आदेशों के संबंध टिप्पणी की प्रविष्टि की जाएगी।

In exercise of the powers conferred by article 227 of the Constitution of India, read with section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, proposes to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, after rule 594, the following rules shall be inserted, namely:-

"**594-A.-** (1) In there rules :-

(a) "Petition" means a document written for being presented to a Civil Court and includes a plaint, written statement and memorandum of appeal.

(b) "To practice as petition writer" means to write a petition as defined above for hire. A petition writer is said to practice in a court when he writes petitions for the purpose of being presented to the court.

(2) No person shall practice as a petition-writer unless he has been duly licensed under these Rules:

provided-

(a) that any person licensed under any rule, either Civil or Criminal shall be deemed to have been licensed under these rules;

(b) that no such licence is necessary in respect of a petition meant to be presented to a court in which a legal practitioner is entitled to practice if the petition is written by him or by his clerk and is signed by a legal practitioner.

(3) No petition shall be rejected merely on the ground that it has been written by a person who is not a licensed petition-writer. Every petition shall show clearly the name and designation of the person by whom it has been scribed and the court may refuse to accept a petition which does not comply with this requirement.

LICENSING OF PETITION WRITERS

(4) The number of licences to be granted under these Rules shall be in accordance with the scale fixed by the District Judge for the District. The scale may be altered when necessary, but licences should be granted indiscriminately without reference to the fixed scale.

(5) Any person above the age of 20 years may apply to the District Judge of the district in which he desires to practice for being licensed as a petition-writer.

(6) (a) The application shall be written by the applicant in his own hand or typed under his signature with following details:-

(i) The applicant's name, father's name, date of birth according to the English Calendar, residence with address proof along with ID proof where necessary, and educational qualifications with marks sheet showing date of birth and present occupation (if any);

(ii) The language or languages with which the applicant is acquainted;

(iii) The names of two respectable persons to whom reference may be made regarding the applicant's character.

(b) If the applicant has been convicted of any criminal offence or removed from any service under the Government, the fact shall be stated in the application.

(c) If the applicant is a legal practitioner or in the service under the Government or any other authority, his application shall state that he is ready to resign from such service on being licensed as a petition-writer.

(7) The District Judge to whom the application is made may, in his discretion, on being satisfied-

(a) that the applicant is over 20 years of age,
(b) that he is of good character,
(c) that he is not otherwise ineligible and
(d) that he has passed the Higher Secondary Examination (10+2) from any recognised Board,

grant the applicant a licence along with registration number in the prescribed Form- A appended to these rules. A appended to these rules no person shall be licensed as a petition-writer whilst he is a legal practitioner or in the service of the government or any authority.

(8) (a) Every petition writer shall be under probation for a period of one year. After probation period of one year, if confirmation is made by the District Judge, the duration of such licence shall be for three years in first instance, subject to renewal by the District Judge, time to time, on same conditions:

Provided that the application for renewal shall be made 30 days prior to the expiry of the period of licence.

(b) No probationer shall be confirmed unless he satisfies the District Judge-

(i) that he is able to draw up in a legible, hand clear and concise application, plaint, written statement or memorandum of appeal in the language of the court in which he practises;

(ii) that he is acquainted with the provisions of the Civil Procedure Code, the Court Fees Act, the Stamp Act and the Limitation Act, so far as knowledge of these Acts is necessary for the efficient performance of the duties of a petition-writer;

(iii) that he is regularly complying with all the rules regarding petition-writers i.e. maintenance of register, mentioning requisite details on petitions and other documents.

(c) In case the applicant fails to apply for renewal of the licence within the prescribed period, he may file an application within one month from the date of expiry, seeking condonation of delay giving reasons for the same and District Judge, on being satisfied about the reasons of delay, may condone the same.

(d) With the enforcement of these rules, the existing Petition Writers shall have to apply for renewal of their licences within a period of 3 months.

(9) A register of licensed Petition Writers should be maintained in the prescribed form in the office of every District Judge. A page or pages of the register shall be set apart for each petition writer.

CONDUCT OF PETITION-WRITERS

(10) Every petition writers shall maintain a register in the prescribed form and shall enter therein every petition written by him, and shall produce the register for inspection to any judicial officer or official duly instructed by the District Judge it is required to do so.

(11) Every licensed petition writer shall, at his own expense, provide himself with an official seal of the following pattern.

Petition Writer
Name...................................
No.......................................
District...............................

SEAL

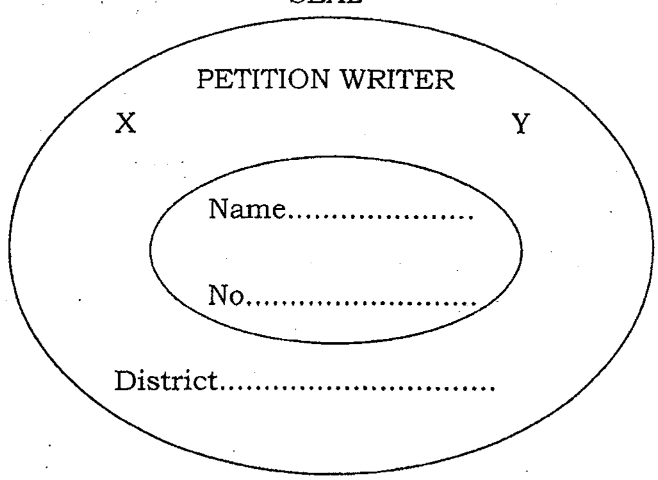

(12) Every licensed petition writer, in writing petitions, shall confine himself to expressing in plain and simple language such as the petitioner may understand, and in a concise and proper form, the statements and objects of the petitioner, and shall not introduce any argument or quotation from a law report or other law book, or refer to any decision not brought to his notice by the petitioner.

(13) Every licensed petition writer shall affix his seal (with his name and license number filled in) on every petition written by him and shall enter on such petition the number which it bears in his register and the fee which has been charged for writing it.

(14) Every licensed petition writer shall re-write, at his own cost, any petition, written by himself, when required to do so by the order of a competent authority.

(15) (a) A licensed petition writer shall charge only such fees as may be prescribed by the District Judge not exceeding the scale hereto annexed. He shall make a note in the petition and also in the appropriate columns of his register, the amount actually received by him;

(b) A licensed petition-writer shall not take any payment for his service by expressing his interest in the result of any litigation in connection with which he is employed and shall not contribute towards the funds for carrying on any litigation in which he is not otherwise personally interested;

(c) Every licensed petition-writer shall give to his employer a receipt for the amount received by him, specifying exactly what the money was received for e.g., writing fees or costs, and if for costs, for what cost e.g., Courts fees on plaints, process-fee, etc. The details shall be set out separately either in the receipt itself or on a separate piece of paper attached to it.

(16) A licensed petition-writer shall not accept any mukhtarnama, whether general or special, for the conduct of any case in a **criminal court** other than a case in which he is himself a party.

(17) Every licensed petition-writer-

(a) who resigns or is removed;

(b) who joins the service of Government or any other authority or becomes a legal practitioner; or

(c) who se licence is suspended or cancelled under these rules, shall forthwith surrender his license to the District Judge.

PROCEDURE IN DEALING WITH BREACH OF RULES

(18) Any Judicial officer who, on the representation of any person employing a petition-writer, and after hearing such petition-writer (if he desires to be so heard) finds that the fee charged for writing a petition presented in the court was excessive, may by order in writing, reduce the same to such sum as appears to be, under the circumstances, reasonable and proper, and may require the petition-writer to refund the amount received in excess of such sum. An order passed under this rule shall not be revised except by the officer who makes it.

(19) Any Judicial officer may order a licensed petition-writer to re-write any petition, written by him, which contravenes rule 12 or is illegible, obscure or prolix or contains any irrelevant matter or misquotation, or for any other person, in the opinion of such officer, informal or otherwise objectionable. An order passed under this rule shall not be revised except by the officer who makes it.

(20) Any person who violates sub-rule (2) of this rule shall be liable to pay penalty not exceeding to rupees five hundred.

(21) Any licensed petition-writer who violates any of the sub-rules (10), (11), (13), (15), (16) and (17) shall be liable to a penalty not exceeding to rupees one hundred.

(22) Any breach of rules specified in sub-rules (20) and (21) shall be cognizable by the District Judge and no penalty shall be inflicted in respect of such violations unless the person, charged, has been given an opportunity of defending himself.

(23) Any probationer who fails to satisfy the District Judge on the points mentioned in sub-rule (8), within the year of his probation, shall not be granted licence.

(24) The fine imposed on Petition Writer shall be recovered as an arrear of land revenue.

(25) Any licensed petition-writer who-

(a) habitually writes petitions contrary to sub-rule (12), containing irrelevant matter or averments which are unnecessary or otherwise objectionable; or

(b) in the course of his business as petition writers, uses disrespectful, insulting or abusive language; or

(c) is found to be incapable of efficiently discharging the functions of a petition writer; or

(d) habitually remains absent during court hours or is absent from his headquarters for a considerable period without sufficient cause; or

(e) by reason of any fraudulent or improper conduct, is found to be unfit to practise as such; or

(f) is convicted of a criminal offence involving moral turpitude, may suffer suspension or cancellation of his licence by the order of the District Judge which shall be disqualification for his being listed in future:

Provided that such petition writer shall be given a reasonable opportunity of hearing before passing the order of suspension or cancellation of licence.

(26) No appeal shall lie from any order passed under any of the above sub-rules.

(27) The High Court shall exercise general powers of superintendence and control with regard to orders passed under sub rules (20), (21), (23), (24) or (25) in the same manner as with regard to other administrative orders of the District Judge.

Maximum Chargeable Rate.

(28) The maximum chargeable rate shall be Rs. 10/- per page subject to maximum limit of Rs. 400/- on a petition or other document.

Form-A

Form of Licence

Registration No................

Certified that...son of... resident of ....district is hereby permitted to practise as such in the..........................district, this day, has been licensed as petition writer in the manner prescribed by the rules relating to petition writers in Madhya Pradesh and subject to the provisions of the said rules.

Given under my hand and seal of this Court ....of 2015 ....at............................

Seal

....
District Judge

Form-B

Register to be maintained by every licensed petition writer

Serial Number of Petition	Date on which petition was written	Name, parentage and residence of the person at whose instance the petition was written	Description of Petition	Brief abstract of contents of petition	Value of Court fee paid to the petition	Fees charged for writing the petition	Remarks	Signature of the petition writer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Form-C

Register of licensed petition writers

Page of Register....................

Registration No..........................

(1) Name of petition writer
(2) Father's Name
(3) Residence
(4) Place of business
(5) Date of grant of licence
(6) Date of confirmation of appointment
(7) Registration No............

*Remarks

Note: One or more pages to be set apart for each petition writer

*Note: In the column or remarks, a note shall be entered a note of any penalty imposed under sub-rules (20) or (21) and of any orders passed under sub-rule (18), (19), (22) or (23).

MOHAMMAD FAHIM ANWAR, Registrar General.

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2017

क्र. 2625–भसकम–1911–मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से प्रसूविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में अधिसूचित समस्त योजनाओं में वर्तमान प्रावधानों एवं हितलाभ के स्वीकृति के अधिकार संबंधी सुसंगत कंडिकाओं में संशोधन कर क्षेत्रीय स्तर पर एतदद्वारा यथा प्रत्यायोजित करता है।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत संचालित योजनाओं को समग्र सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लिये गये कार्यक्रम और उसके अवयवों को एक निर्धारित समय–सीमा में स्वीकृति प्रदान की जायेगी। जिन आवेदकों के द्वारा पदाभिहित अधिकारी के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की समय–सीमा के प्रावधान निम्नानुसार सारणी में किया जाता है।

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	आवदेन–पत्र जमा करने की निश्चित समय–सीमा	संशोधित समय–सीमा
1	प्रसूति सहायता योजना	<u>ग्रामीण क्षेत्र</u> विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी <u>शहरी क्षेत्र</u> सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल	प्रसूति पश्चात् 60 दिवस तक --तदैव--	प्रसूति पश्चात् 60 दिवस तक --तदैव--
2	विवाह सहायता योजना	<u>ग्रामीण क्षेत्र</u> मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत <u>शहरी क्षेत्र</u> अ–आयुक्त, नगर निगम ब–मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	विवाह तिथि से एक दिन पूर्व	विवाह तिथि से 60 दिन तक
3	चिकित्सा सहायता योजना	<u>ग्रामीण क्षेत्र</u> विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी <u>शहरी क्षेत्र</u> सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल	उपचार प्रारंभ होने से चार माह, अस्पताल से छट्टी व उपचार पूर्ण होने के दो माह जो पहले हो	उपचार प्रारंभ होने से चार माह, अस्पताल से छट्टी व उपचार पूर्ण होने के दो माह, जो पहले हो
4	अन्त्येष्टि सहायता	<u>ग्रामीण क्षेत्र</u> ग्राम पंचायत <u>शहरी क्षेत्र</u>	अंतिम संस्कार के दिन	मृत्यु उपरांत 6 माह तक

		अ–आयुक्त, नगर निगम ब–मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद		
5	**मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ–आयुक्त, नगर निगम ब–मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	**मृत्यु उपरांत छः माह तक**	**मृत्यु उपरांत छः माह तक स्थायी अपंगता की स्थिति में दुर्घटना के दिनांक से छः माह तक**
6	**अपंजीकृत निर्माण श्रमिको की निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अन्त्येष्टि सहायता योजना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ–आयुक्त, नगर निगम ब–मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	**अंतिम संस्कार के दिन**	**मृत्यु उपरांत 6 माह तक**
7	**अपंजीकृत निर्माण श्रमिको की निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अनुग्रह राशि भुगतान योजना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ–आयुक्त, नगर निगम ब–मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	**मृत्यु उपरांत छः माह तक**	**मृत्यु उपरांत छः माह तक स्थायी अपंगता की स्थिति में दुर्घटना के दिनांक से 6 माह तक**
8	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	**प्राचार्य, संकुल केन्द्र प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय /प्रधानाध्यापक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, प्राचार्य निजी महाविद्यालय, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय**	31 मार्च तक	**31 मार्च तक जिस शैक्षणिक सत्र हेतु प्रोत्साहन राशि चाही गयी है उसके आगामी सत्र के 31 मार्च तक**
9	मेधावी छात्र/छात्राओ को नगद पुरुस्कार योजना	प्राचार्य, संकुल केन्द्र प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय /प्रधानाध्यापक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, प्राचार्य निजी महाविद्यालय, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय	31 मार्च तक	31 मार्च तक जिस शैक्षणिक सत्र हेतु प्रोत्साहन राशि चाही गयी है उसके आगामी सत्र के 31 मार्च तक
10	सुपर 5000 (कक्षा–10) योजना	प्राचार्य, संकुल केन्द्र प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय /प्रधानाध्यापक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, प्राचार्य	नही	जिस वर्ष परिणाम घोषित हो उसके आगामी शैक्षणिक सत्र के 31 मार्च तक (अर्थात् मई

		निजी महाविद्यालय, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय		16 में परिणाम घोषित होने की स्थिति में मार्च 2017 तक)
11	सुपर 5000 (कक्षा-12) योजना	प्राचार्य, संकुल केन्द्र प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय /प्रधानाध्यापक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, प्राचार्य निजी महाविद्यालय, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय	नही	जिस वर्ष परिणाम घोषित हो उसके आगामी शैक्षणिक सत्र के 31 मार्च तक (अर्थात् मई 16 में परिणाम घोषित होने की स्थिति में मार्च 2017 तक)
12	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	नही	बैंक द्वारा ऋण राशि स्वीकृति के पश्चात् उसी वित्तिय वर्ष अंत तक
13	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी(कार्यालय प्रमुख)	नही	बैंक द्वारा ऋण राशि स्वीकृति के पश्चात् उसी वित्तिय वर्ष अंत तक
14	राज्य लोकसेवा आयोग एवं संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा पर सफलता पर पुरूस्कार योजना	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी(कार्यालय प्रमुख)	नही	परीक्षा के परिणाम घोषित होने के छः माह तक
15	सायकल अनुदान योजना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ-आयुक्त, नगर निगम ब-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	नही	सायकल क्रय करने की तिथि से तीन माह के अन्दर
16	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना 2013	प्राचार्य संबंधित शासकीय/निजी महाविद्यालय	नही	जिस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लिया/द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण किया उसके आगामी शैक्षणिक सत्र में 31 मार्च तक
17	व्यवसायिक (यू.जी./पी. जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ-आयुक्त, नगर निगम ब-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	नही	कोचिंग संस्थान में प्रवेश के पश्चात तीन माह तक

18	औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ-आयुक्त, नगर निगम ब-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	नही	औजार क्रय करने की तिथि से तीन माह के अन्दर
19	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ-आयुक्त, नगर निगम ब-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	नही	निर्माण कार्य प्रारंभ करने के तीन माह तक
20	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी(कार्यालय प्रमुख)	नही	60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात छः माह तक
21	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** अ-आयुक्त, नगर निगम ब-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	नही	अर्हतादायी खेलकूद प्रतियोगिता में विजय होने के पश्चात् छः माह तक

नोटः- 1. यह अधिसूचना म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगी।
2. सचिव, म.प्र.भ.स.क.क.मं., भोपाल को निर्धारित समय-सीमा में गुण दोष के आधार पर छूट देने का अधिकार होगा, यह छूट संबंधित पदाभिहित अधिकारी के छूट देने संबंधी स्पष्ट अनुशंसा व कारणों के आधार पर विवेचना उपरांत दी जा सकेगी।

अधिसूचना क्रमांक - 2626- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा, म.प्र. राजपत्र दिनांक 16 अगस्त 2013, दिनांक 28 फरवरी 2014 यथा संशोधित 20 जनवरी 2017 द्वारा अधिसूचित **पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना, 2013** में शासन के अनुमोदन के पश्चात् निम्नानुसार संशोधन करता है :-

अर्थात् :-

योजना की कंडिका (च)(i) में पंक्ति

"ग्राम पंचायत स्तर पर शेड निर्माण हेतु रूपये 01 लाख तक की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी।"

के स्थान पर पंक्ति

"ग्राम पंचायत स्तर पर शेड निर्माण हेतु रूपये 02 लाख तक की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी।"

प्रतिस्थापित की जाती है।

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म–2017 –क्र. 2630– मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, दिनांक 13 दिसम्बर 2004 यथा संशोधित दिनांक 16 अगस्त 2013 तथा 18 जुलाई 2014 द्वारा अधिसूचित योजना **"प्रसूति सहायता योजना 2004"** में एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :–

अर्थात :–

(1) योजना की कंडिका **4.1, 4.2, 4.3 एवं 4.5 के स्थान पर निमनुसार उप कंडिका प्रतिस्थिापित की जाती है:–**

(4) हितलाभ

4.1 वैध परिचयपत्र धारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचयपत्र धारी पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति होने पर प्रसूति सहायता के रूप में 60 दिन की अवधि का अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन प्रसूति हितलाभ के रूप में देय होगा।

4.2 वैध परिचयपत्र धारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचयपत्र धारी पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति होने पर प्रसूति सहायता के अतिरिक्त पोषण भत्ता रूपये 01 हजार शहरी क्षेत्र हेतु एवं रूपये 1400 ग्रामीण क्षेत्र हेतु देय होगा।

एस.एस.दीक्षित, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मई 2017

क्रमांक एफ 7—17/2015/18—5, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश राजपत्रित (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची—एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पर्यावरण आयुक्त	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी(सेवा)	कैडर वेतन+विशेष वेतन	
2.	आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	1	—तदैव—	कैडर वेतन+विशेष वेतन	
3.	अपर संचालक	2	—तदैव—	37400—67000+ग्रेड वेतन 8700/—	
4.	संयुक्त संचालक	11	—तदैव—	15600—39100+ग्रेड वेतन 7600/—	
5.	उप संचालक (योजना)	15	—तदैव—	15600—39100+ग्रेड वेतन 6600/—	
6.	उप संचालक (सर्वे प्रोजेक्ट)	2	—तदैव—	15600—39100+ग्रेड वेतन 6600/—	
7.	उप संचालक (रिसर्च)	1	—तदैव—	15600—39100+ग्रेड वेतन 6600/—	
8.	उप संचालक (स्थापना)	1	—तदैव—	15600—39100+ग्रेड वेतन 6600/—	
9.	लेखाधिकारी	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी (प्रतिनियुक्ति)	15600—39100+ग्रेड वेतन 6600/—	

10.	सहायक संचालक (स्था.)	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400/–	
11.	सहायक संचालक (योजना)	26	–तदैव–	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400/–	
12.	सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	7	–तदैव–	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400/–	
13.	सहायक संचालक (रिसर्च)	5	–तदैव–	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400/–	
14.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (प्रतिनियुक्ति)	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400/–	
15.	संपरीक्षक (आडीटर)	1	–तदैव–	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400/–	

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)
भरती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता		
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (क))	सेवा के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा (नियम 6(ख))	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (ग))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश राजपत्रित प्रथम–श्रेणी सेवाएं	(1) पर्यावरण आयुक्त	1	–	–	भारतीय प्रशासनिक सेवाएं।
		(2) आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	1	–	–	अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार
		(3) अपर संचालक	2	–	100 प्रतिशत	
		(4) संयुक्त संचालक	11	–	100 प्रतिशत	
		(5) उप संचालक (योजना)	15	–	100 प्रतिशत	
		(6) उप संचालक (सर्वे/ प्रोजेक्ट)	2	–	100 प्रतिशत	
		(7) उप संचालक (रिसर्च)	1	–	100 प्रतिशत	
		(8) उप संचालक (स्थापना)	1	–	100 प्रतिशत	

		(9) लेखाधिकारी	1	—	—	संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति
	द्वितीय श्रेणी	(10) सहायक संचालक (योजना)	26	50 प्रतिशत	10 प्रतिशत ऐसे मानचित्रकार जिन्होंने सेवा में आने के पूर्व डिप्लोमा/ उपाधि प्राप्त कर ली हो (वास्तुकला/ सिविल यांत्रिकी में डिप्लोमा या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में उपाधि)। —5 प्रतिशत ऐसे मानचित्रकार जिन्होंने सेवा में आने के पश्चात् डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त की हो (वास्तुकला/ सिविल यांत्रिकी में डिप्लोमा या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में उपाधि)। —35 प्रतिशत मानचित्रकार संवर्ग से पदोन्नति	—
		(11) सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	7	50 प्रतिशत	10 प्रतिशत ऐसे उपयंत्री जिन्होंने सेवा में आने के	

					पूर्व या पश्चात् डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त कर ली हो (सिविल यांत्रिकी में डिप्लोमा) –10 प्रतिशत ऐसे उपयंत्री जिन्होंने सेवा में आने के पूर्व या पश्चात् उपाधि प्राप्त की हो (मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल यांत्रिकी में उपाधि)। –30 प्रतिशत सिविल यांत्रिकी संवर्ग से पदोन्नति	
		(12) सहायक संचालक (रिसर्च)	5	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	
		(13) सहायक संचालक (स्थापना)	1	–	100 प्रतिशत	
		(14) कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	–	–	संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति
		(15) संपरीक्षक (आडीटर)	1	–	–	संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिए)
सीधी भरती के लिए आवश्यक अर्हता तथा आयु सीमा

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता में प्रस्तावित परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी) सेवा	(1) सहायक संचालक (योजना)	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में स्नातक **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नगर निवेश / क्षेत्रीय निवेश / यातायात एवं परिवहन / भू–दृश्य वास्तुकला / नगर / रूपांकन / आवास निर्माण / पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि।
		(2) सहायक संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल यांत्रिकी में स्नातक उपाधि।
		(3) सहायक संचालक (रिसर्च)	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र / भूगोल / सांख्यिकी / गणित / वाणिज्यि / सामाजिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

अनुसूची–चार
(नियम 14 देखिए)
पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है।	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है।	विभागीय पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव तथा अर्हता।		विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
				अनुभव	अर्हता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (राजपत्रित प्रथम एवं	(1) संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अपर संचालक	संयुक्त संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	नगर निवेश / क्षेत्रीय निवेश / यातायात एवं परिवहन / भू–दृश्य वास्तुकला / नगर	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा

	द्वितीय श्रेणी सेवाएं)				रूपांकन / आवास / पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि।	नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति– **अध्यक्ष**। 2. प्रमुख सचिव / सचिव, नगरीय विकास तथा आवास विभाग– **सदस्य**। 3. संचालक / अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग– **सदस्य**। 4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित समकक्ष नामनिर्दिष्ट अधिकारी– **सदस्य**।
		(2) उप संचालक (योजना)	संयुक्त संचालक	उप संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	नगर निवेश / क्षेत्रीय निवेश / यातायात एवं परिवहन / भू–दृश्य वास्तुकला / नगर रूपांकन / आवास / पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि	–तदैव–
		(3) उप संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	संयुक्त संचालक	उप संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	नगर निवेश / क्षेत्रीय निवेश / यातायात एवं परिवहन / भू–दृश्य वास्तुकला / नगर रूपांकन / आवास पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष	–तदैव–
		(4) उप संचालक (रिसर्च)	संयुक्त संचालक	उप संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	नगर निवेश / क्षेत्रीय निवेश / यातायात एवं परिवहन / भू–दृश्य वास्तुकला / नगर रूपांकन / आवास / पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि।	–तदैव–

		द्वितीय श्रेणी (5) सहायक संचालक (योजना)	उप संचालक (योजना)	सहायक संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	–निरंक–	–तदैव–
		(6) सहायक संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	उप संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	सहायक संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	–	–तदैव–
		(7) सहायक संचालक (रिसर्च)	उप संचालक (रिसर्च)	सहायक संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	–	–तदैव–
		(8) सहायक संचालक (स्थापना)	उप संचालक (स्थापना)	सहायक संचालक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा	–	–तदैव–
		तृतीय श्रेणी <u>अराजपत्रित</u> (9) मानचित्रकार	**द्वितीय श्रेणी <u>राजपत्रित</u>** सहायक संचालक (योजना)	मानचित्रकार के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा।	–	–तदैव–
		(10)उपयंत्री	सहायक संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	उपयंत्री के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा।	–	–तदैव–
		(11) वरिष्ठ रिसर्च सहायक	सहायक संचालक (रिसर्च)	वरिष्ठ रिसर्च सहायक के रूप में 7 वर्ष की लगातार सेवा।	–	–तदैव–
		(12) अधीक्षक	सहायक संचालक (स्थापना)	अधीक्षक के रूप में लगातार 7 वर्ष की सेवा।	स्नातक एवं लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण।	–तदैव–

F 7-17/2015/18-5, In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Town and Country Planning (Class-I and Class-II) Service Recruitment Rules, 1977, namely:-

AMENDMENTS

In the said Rules, for existing Schedule I, II, III and IV, the following schedules shall be substituted namely:-

"SCHEDULE –I

(See Rule-5)

Classification, Scale of Pay and Number of posts included in the service.

Sl. No.	Name of the posts included in service	No. of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,	Environment Commissioner	1	Gazetted Class one (service)	Cadre pay +Spl. Pay	
2.	Commissioner cum Director, Town and Country Planning	1	-do-	Cadre pay +Spl. Pay-	
3.	Additional Director	2	-do-	37400-67000+GP 8700/-	
4.	Joint Director	11	-do-	15600-39100+GP 7600/-	
5.	Deputy Director (Planning)	15	-do-	15600-39100+GP 6600/-	
6.	Deputy Director (Survey Project)	2	-do-	15600-39100+GP 6600/-	
7.	Deputy Director (Research)	1	-do-	15600-39100+GP 6600/-	
8.	Deputy Director (Esstt.)	1	-do-	15600-39100+GP 6600/-	
9.	Accounts Officer	1	Gazetted Class-one (Deputation)	15600-39100+GP 6600/-	
10.	Assistant Director (Estt.)	1	Gazetted Class-two	15600-39100+GP 5400/-	
11.	Assistant Director (Planning)	26	-do-	15600-39100+GP 5400/-	
12.	Assistant Director (Survey/Project)	7	-do-	15600-39100+GP 5400/-	
13.	Assistant Director (Research)	5	-do-	15600-39100+GP 5400/-	
14.	Junior Accounts Officer	1	Gazetted Class-two (Deputation)	15600-39100+GP 5400/-	
15.	Auditor	1	-do-	15600-39100+GP 5400/-	-.".

SCHEDULE –II
(See Rule 6)
Method of Recruitment

Name of Department	Name of service	Name of post	Total no of Posts	Percentage of the No. of duty posts to be filled in		
				By Direct recruitment (rule 6 (a))	By promotion of members of the service (rule 6 (b)	By transfer of persons from other services (rule 6 (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[1]Urban Development and Housing Department	M.P. Town & Country Planning Gazetted Class-I services	(1) Environment Commissioner	1			Indian Administrative services
		(2) Commissioner cum Director, Town & Country Planning	1	-	-	As per Section 3 (1) of The Act
		(3) Additional Director	2	-	100%	-
		(4) Joint Director	11	-	100%	-
		(5) Deputy Director (Planning)	15	-	100%	-
-		(6) Deputy Director (Survey/Project)	2	-	100%	-
		(7) Deputy Director (Research)	1	-	100%	-
		(8) Deputy Director (Esstt.)	1	-	100%	-
		(9) Accounts Officer	1	-	-	Deputation from Directorate Treasury and Accounts
	Class –II	(10) Assistant. Director (Planning)	26	50%	50% 10% Draftsmen who Possessed Diploma /Degree before joining their post (Diploma in Architecture/Civil Engineering OR Degree in Planning from a recognized University) -5% Draftsmen who Procured Diploma/Degree After joining their post (Diploma in Architecture/Civil Engineering OR Degree in Planning from a recognized University) -35% Promotion from Draftsmen Cadre	
		(11) Assistant Director	7	50%	50%	

		(Survey/Project)			10% Those Sub-Engineers who Procured Diploma before or after joining their post (Diploma in Civil Engineering) 10% Those Sub-Engineers who procured Degree before or after joining their post (Degree in Civil Engineering from recognized University) 30% Promotion from Sub Engineer Cadre	-
		(12) Assistant Director (Research)	5	50%	50%	-
		(13) Assistant Director (Esstt.)	1	-	100%	-
		(14) Junior Accounts Officer	1	-	-	Deputation From Directorate of Treasury and Accounts
		(15) Auditor	1	-	-	Deputation From Directorate of Treasury and Accounts

SCHEDULE –III

(See Rule 8)

Essential qualification and age limit of direct recruitment

Name of Deptt.	Name of service	Name of posts in the service	Minimum Age Limit	Upper Age Limit	Proposed change in Minimum Educational qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urban Development and Housing Department	M.P. Town and Country Planning Gazetted (Class-II) services	(1). Assistant Director (Planning)	21 Years	40 Years	Graduation in Planning from any recognized University **OR** Post graduate degree in Town planning/Regional Planning/ Traffic and Transportation /Land scape Architecture/ Urban Design /Housing /Environment Planning from a recognized university.
		(2) Assistant Director (Survey/Project)	21 years	40 years	Graduate Degree in Civil Engineering from a recognized University
		(3) Assistant Director (Research)	21 Years	40 years	IInd Class Master degree in Economics/Geography/ Statistics/ Mathematics/ Commerce/Sociology from a recognized University.

SCHEDULE –IV
(See Rule 14)
Experience and the qualification required for promotion

Name of Department	Name of service	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Experience and the qualification required from Departmental promotion		Name of members of the departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1Urban Development and Housing Department	M.P. Town and Country Planning (Gazetted Class I and II services)	(1) Joint Director	Class I Additional Director	7 years of continuous service as Joint Director	Post graduate degree in Town Planning/Regional Planning/Traffic & Transportation/ Land Scape architecture/Urban Design/Housing/Environ ment Planning.	1. Chairman of P.S.C. -or any person nominated by him-Chairperson. 2. Principal Secretary/Secretary, **Urban development & Housing Department- Member.** 3.Director/Addition al Director, Town and Country Planning, Department. – Member 4-Equivalent nominated officer belonging to S.C. / S.T.category.- member
		(2) Deputy Director, (Planning)	Joint Director	7 years of continuous service as Deputy Director	Post graduate degree in Town Planning/Regional Planning/Traffic & Transportation/Land scape Architecture/Urban Design/Housing/Em	-do-
		(3) Deputy Director (Survey/Project)	Joint Director	7 years of continuous service as Deputy Director	Post graduate degree in Town Planning/Regional Planning/Traffic and Transportation/Land scape Architecture/ Urban Design/Housing/Environ ment Planning or equivalent.	-do-
		(4) Deputy Director (Research)	Joint Director	7 years of continuous service as Deputy Director	Post graduate degree in Town Planning/Regional Planning/Traffic and Transportation/Land scape Architecture/ Urban Design/Housing/Environ ment Planning or equivalent.	-do-

		Class II (5) Assistant Director (Planning)	Deputy Director, (Planning)	7 years of continuous service as Assistant Director	Nil	-do-
		(6) Assistant Director (Survey/Project)	Deputy Director (Survey/Project)	7years of continuous service as Assistant Director	-	-do-
		(7) Assistant Director (Research)	Deputy Director (Research)	7 years of continuous service as Assistant Director	-	-do-
		(8) Assistant Director (Establishment)	Deputy Director (Establishment)	7 years of continuous service as Assistant Director	-	-do-
		Class III **Non Gazetted** (9) Draftsman	**Class II** **Gazetted** Assistant Director (Planning)	7 years of continuous Service as Draftsman	-	-do-
		(10) Sub Engineer	Assistant Director (Survey/Project)	7 years of continuous Service as Sub Engineer	-	-do-
		(11) Senior Research Assistant	Assistant Director (Research)	7years of continuous Service as Senior Research Assistant	-	-do-
		(12) Superintendent	Assistant Director (Estt.)	7 years of continuous Service as Superintendent	Graduate and Accounts training pass	-do-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव शर्मा, अपर सचिव.

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2017

क्रमांक एफ 9–22/1998/पैंतालीस, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, अधिसूचना समसंख्यक 01 जनवरी, 2000 को जारी "मध्यप्रदेश शासन द्वारा विमान/हेलीकाप्टर किराये पर लेने संबंधी नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :–

"6. मान. राज्यपाल, मान. मुख्यमंत्री, मान. केन्द्रीय मंत्री के लिये तात्कालिक परिस्थितियों में विमान/हेलीकाप्टर किराये पर लेने के लिये आयुक्त, विमानन संचालनालय सक्षम होंगें। उक्त अतिविशिष्ट व्यक्तियों के अलावा विमान/हेलीकाप्टर किराये पर लेने के लिये, बिना विभागीय मंत्री की पूर्वानुमति के किराये पर नहीं लिया जायेगा, यदि किसी कारण से पूर्वानुमति लिया जाना संभव न हो तो, ऐसे कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये विभागीय मंत्री से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमारम, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.